रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220053
CG-DL-E-20062020-220053

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1746] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ ज्येष्ठ 28, 1942**
No. 1746] **NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1962(अ).—अधिसूचना संख्या का.आ. 3151(अ), तारीख 29 अगस्त, 2019 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (बाद में उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य में रामनाबागान वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 100 मीटर तक विस्तृत क्षेत्रफल अधिसूचित किया;

और, पश्चिम बंगाल सरकार ने पत्र सं. सी-65013/07/2019 तारीख 30 नवम्बर, 2019 को उक्त अधिसूचना में कुछ संशोधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध की जांच की और उक्त अधिसूचना में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (ii) में निगरानी समिति से संबंधित पैराग्राफ संख्या 5 में, "वन्यजीव वार्डन" शब्द के बाद "या उनका प्रतिनिधित्व" शब्द अन्तर्निविष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 25/51/2016-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या का.आ. 3151(अ), तारीख 29 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1962(E).—WHEREAS, *vide* notification number 3151 (E) dated the 29th August, 2019 under sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, (hereinafter referred as the said notification) the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified an area to an extent of 100 meters uniform around the boundary of Ramnabagan Wildlife Sanctuary in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone;

AND WHEREAS, the Government of West Bengal *vide* letter no. C-65013/07/2019 dated the 30th November, 2019 requested Ministry of Environment, Forest and Climate Change for certain amendments in the said notification;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of West Bengal and decided to amend the said notification;

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by the sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-rule (4) of Rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment to the said notification, namely: -

In the said notification, in paragraph number 5 relating to the Monitoring Committee in serial number (ii), after the words **"wildlife warden"** the word **"or his representation"** shall be inserted.

[F. No. 25/51/2016-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI , Scientist 'G'

Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. No. 3151 (E) dated the 29th August, 2019;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.20 19:18:58 +05'30'